पूर्व मध्य रेल

अधिसूचना

विषयः- दिनांक 12.11.2015 से लागू टिकट वापसी के नियम में संशोधन ।

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.11.2015 से टिकट वापसी के निम्नलिखित नियम लागू होंगे । संशोधित टिकट वापसी के कुछ नियमों के अनुचरित विशेषताएं निम्न हैं:-

नियम-4 (लिपिकीय प्रभार) :-

| | | |
|---|---|---|
| द्वितीय श्रेणी अनारक्षित टिकटों के लिए | यदि टिकट को, टिकट जारी करने के तीन घंटे के भीतर रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।अग्रिम रूप से जारी टिकटों की दशा में, यदि यात्रा की तारीख से पूर्व 24.00 घंटे तक टिकट को प्रस्तुत किया जाता है । | ₹ 30/- |
| द्वितीय श्रेणी आरक्षित और अन्य श्रेणी के प्रतीक्षा सूची/ आरएसी टिकटों के लिए । | नियम-7:-अप्रयुक्त आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट के रद्दीकरण पर प्रतिदाय-<br>1. यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले तीस मिनट तक दूरी को ध्यान दिए बिना रद्दीकरण के लिए टिकट प्रस्तुत किया गया हो ।<br>2. यात्री किसी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर या अभिहित चालू काउंटर से आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट का रद्दीकरण के प्रतिदाय प्राप्त कर सकेगा ।<br>3. रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान समय से पहले तीस मिनट पश्चात आरएसी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।<br>4. रात्रीकालीन रेलगाड़ियों के लिए यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर 21:00 बजे से 06:00 बजे के बीच (वास्तविक प्रस्थान समय) किसी पी आर एस के माध्यम से जारी की गई आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट के रद्दकरण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में, किराए का प्रतिदाय आरक्षण कार्यालय के खुलने के पश्चात दो घंटे के भीतर अनुज्ञेय होगा ।<br>5. जहां पुष्ट आरक्षण चार्ट के अंतिम रूप से तैयार किए जाने तक किसी भी समय आर ए सी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटधारक को टिकट उपलब्ध करा दिया गया है वहां ऐसा टिकट आरक्षित टिकट के रूप में समझा जाएगा और रद्दीकरण प्रभार नियम 6 के अनुसार संदेय होगा । | ₹ 60/- |

नियम-6 (अप्रयुक्त आरक्षित टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय)

| | श्रेणीनुसार न्यूनतम रद्दकरण प्रभार (₹ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | द्वितीय दर्जा | स्लीपर | वातानुकूलित थ्री टीयर/थ्री इकोनोमी और वातानुकूलित चेयर कार | वातानुकूलित टू टीयर और पहले दर्जे | वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और एक्जीक्यूटिव श्रेणी |
| यदि टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से अड़तालीस घंटे पहले रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है । | 60 | 120 | 180 | 200 | 240 |
| यदि टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले अड़तालीस घंटे से बारह घंटे के बीच रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है । | किराये का 25 प्रतिशत जो न्यूनतम रद्दकरण प्रभार से कम नहीं होगा । | | | | |
| यदि टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले बारह घंटे से चार घंटे के बीच रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। | किराये का 50 प्रतिशत जो न्यूनतम रद्दकरण प्रभार से कम नहीं होगा । | | | | |

यात्री, किसी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों या अभिहित चालू काउंटरों से टिकट रद्द करवा सकते हैं। गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पूर्व चार घंटे के बाद पुष्टिकृत टिकट पर कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा।

नियम-8 (इंटरनेट (आई और ई टिकट) के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय)

(1) ई टिकट, इंटरनेट के माध्यम से रद्द किया जाएगा और लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो, उसी खाते में किराए का प्रतिदाय होगा और आई टिकट की दशा मेंटिकट आरक्षण काउंटर पर रद्द किया जाएगा और तत्पश्चात् आन लाइन आवेदन पर शोद्य प्रतिदाय उसी खाते में वापस होगा जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो।

(2) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए पुष्टिकृत टिकट की दशा में, नियम 6 के अनुसार किराए का प्रतिदाय होगा ।

(3) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए आर ए सी टिकटों की दशा में, नियम 7 के अनुसार प्रतिदाय होगा ।

(4) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए ई टिकट (पुष्टिकृत या आरएसी) की दशा में, ऐसे टिकट ऑनलाइन रद्द किया जाएगा या ऑनलाइन टीडीआर प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन विहित किए गए समय सीमा के भीतर पफाइल किया जाएगा ।

(5) आरक्षण चार्ट के तैयार होने के पश्चात यदि एक पी एन आर पर बुक किए गए सभी यात्रियों की प्रास्थिति प्रतीक्षासूची में है उक्त यात्री नाम अभिलेख (पीएनआर) पर बुक किए गए सभी ऐसे यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट से हटा दिए जाएंगे और लिपिकीय प्रभार की कटौती करने के पश्चात उसी खाते में किराए का प्रतिदाय होगा जिस खाते में बुकिंग का कारबार किया गया हो और प्रतीक्षा सूचीबद्ध आई-टिकट की दशा में, ऐसे टिकट इन नियमों के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण पद्धति (पीआरएस) काउंटर पर रद्द किया जाएगा और तत्पश्चात प्रतिदाय का दावा ऑनलाइन किया जा सकेगा और नियम 7 के अनुसार उसी खाते में प्रतिदाय होगा जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो ।

(6) (i) एक से अधिक यात्रियों के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दशा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्यों का आर ए सी या प्रतीक्षा सूची में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा कि वे टिकट आनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टीडीआर पफाइल करेंगे ।

(ii) एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दशा मे, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्यों का आर ए सी या प्रतीक्षा सूची में है, आर ए सी या प्रतीक्षासूची के यात्रियों के यात्रा न करने की दशा में, टिकट जांच करने वाले कर्मचारीवृंद से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा, टिकट जाँच करने वाले कर्मचारीवृंद द्वारा जारी प्रमाणपत्रा के ब्योरों को दर्शित करते हुए टीडीआर के माध्यम से आनलाइन किराए के प्रतिदाय की प्रक्रिया होगा और आनलाइन टी डी आर यात्री के गंतब्य रेलगाड़ी के पहुंचने के वास्तविक समय से बहत्तर घंटे तक फाइल किया जाएगा और टिकट जाँच करने वाले कर्मचारीवृंद द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाणपत्रा भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) को डाक द्वारा भेजा जाएगा और किराए का प्रतिदाय भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात ग्राहक के खाते में किया जाएगा ।

(7) यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से चार घंटे पूर्व तक टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑन लाइन फाइल नहीं की जाती है, तो ऐसे टिकटों पर, जिनके आरक्षण की पुष्टि की गई है किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(8) यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से तीस मिनट पूर्व तक टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑनलाइन फाइल नहीं की जाती है, तो आर ए सी ई-टिकटों पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(9) रेलगाड़ियों के रद्द होने की दशा में पुष्ट किए गए या आर ए सी ई-टिकट पर किराए को जिस खाते से कारबार किया गया है उसी खाते में सीधे स्वतः पूर्ण प्रतिदाय किया जाएगा और ऐसी दशा में ऑन लाईन रद्दकरण या टीडीआर फाइल करना आवश्यक नही होगा ।

नियम-9 (अप्रयुक्त तत्काल टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय)

(1) पुष्टि तत्काल टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) प्रतीक्षा सूचीबद्ध तत्काल टिकट की दशा में किराए का प्रतिदाय नियम 7 के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

(3) एक यात्री से अधिक यात्री की यात्रा के लिए जारी पार्टी तत्काल टिकट या कुटुंब तत्काल टिकट की दशा में कुछ यात्रियों की पुष्टिकृत आरक्षण हो और अन्य प्रतीक्षा सूची पर हो, तो पुष्टिकृत यात्रियों के लिए लिपिकीय प्रभार काट करके संपूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा कि संपूर्ण तत्काल टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले तीस मिनट तक रद्दकरण के लिए वापस कर दिया गया है ।

(4) कोई डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

टिकट वापसी का नियम भारतीय रेल के वेबसाईट **'www.indianrailways.gov.in'** के कॉमर्शियल सर्कुलर नं. 65/2015 के अंतर्गत उपलब्ध है ।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

मनीष कुमार

का० अधी०/धा० से०

21.08.2023

Scanned with OKEN Scanner

**East Central Railway**

**Notification**

Sub:- Amendments in the Refund Rules w.e.f. 12.11.2015.

All concerned is hereby inform that following ticket refund rules will be applicable w.e.f. 12.11.2015.Some of the salient features of revised refund rules are as under:-

**Rule No. 4. (Clerkage Charge) :-**

| | | |
|---|---|---|
| IInd class unreserved | 1. If the ticket is presented for cancellation within three hours of the issue of tickets;<br>2. In case of tickets issued in advance, if the ticket is presented upto 24.00 hours of the day preceding the day of journey. | ₹ 30/- |
| IInd class reserved and all other classes including WL & RAC. | **Rule No. 7. (Refund on cancellation of unused RAC or wait-listed tickets) :-**<br>1. If the ticket is presented for cancellation upto thirty minutes before the scheduled departure of the train irrespective of the distance.<br>2. The passenger may get the RAC ticket or wait-listed ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counter or designated current counter.<br>3. No refund of fare shall be granted on RAC ticket or wait-listed ticket after thirty minutes before the scheduled departure of the Train.<br>4. .In case no facility of cancellation of RAC ticket or wait-listed ticket issued through PRS is available at the station originating the journey for night trains leaving between 2100 hours and 0600 hours (actual departure), the refund of fare shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation office.<br>5. Where confirmed reservation has been provided to RAC or wait-listed ticket holder at any time upto final preparation of reservation charts, such tickets shall be treated as a reserved ticket and cancellation charge shall be payable in accordance with rule 6. | ₹ 60/- |

**Rule No. 6. (Cancellation Charge:-Unused tickets on which reservation has been made.)**

| | Class wise Minimum Cancellation charge in (₹) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| If ticket is presented for cancellation more than 48 hrs in advance of the scheduled departure of the train. | 2S | SL | 3AC, 3 Economy & AC Chair Car | 2AC & 1st class | 1AC & Executive class |
| | 60 | 120 | 180 | 200 | 240 |
| If ticket is presented for cancellation between 48 hrs and upto 12 hours before the scheduled departure of the train. | 25% of the fare subject to minimum of the cancellation charge. | | | | |
| If ticket is presented for cancellation within 12 hrs before the scheduled departure of the train and upto 04 hrs before the scheduled departure of the train irrespective of distance. | 50% of the fare subject to minimum of the cancellation charge. | | | | |
| The passenger may get the ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counters or designated current counters; | | | | | |
| No refund shall be granted on the confirmed ticket after four hours before the scheduled departure of the train. | | | | | |

**Rule No. 8. (Refund on cancellation on tickets booked through internet (i and e-tickets)):-**

1. The e-ticket shall be cancelled through internet and the refund of fare shall be credited to the account from which booking transaction took place, after deducting the applicable charges and in case of i-tickets, the ticket shall be cancelled at the reservation counter and thereafter on online application, refund due shall be credited to the account from which booking transaction took place.
2. In case of a confirmed ticket booked through internet, refund of fare shall be granted in accordance with rule 6.
3. In case of RAC tickets booked through internet, refund of fare shall be granted in accordance with rule 7.
4. In case of e-tickets booked through internet (confirmed or RAC), such tickets shall be cancelled online or online TDR shall be filed within the time limits prescribed under these rules for obtaining refund.
5. In case of wait-listed e-tickets on which status of all the passengers is on waiting list even after preparation of reservation chart, names of all such passengers booked on that Passenger Name Record (PNR) shall be dropped from the reservation chart and refund of fare shall be credited to the account from which booking transaction took place after deducting clerkage and in case of wait-listed i-tickets, such tickets shall be cancelled at the computerized Passenger Reservation System (PRS) counter within the time limits prescribed under these rules and thereafter refund can be claimed online and the refund shall be credited to the account from which booking transaction took place, in accordance with rule 7.
6. (i) In case, on a party e-ticket or a family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on RAC or waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that the ticket shall be cancelled online or online TDR shall be filed for all the passengers upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.

   (ii) In case of party e-ticket or family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on the list of RAC or waiting list, then in case of passengers on RAC or waiting list not travelling, a certificate shall be obtained from the ticket checking staff to that effect and refund of fare shall be processed online through TDR, indicating the details of the certificate issued by ticket checking staff and the online TDR shall be filed upto seventy-two hours of actual arrival of the train at passengers' destination and the original certificate issued by the ticket checking staff shall be sent through post to Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), and the fare shall be refunded by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to the customer's account after due verification.
7. No refund of fare shall be admissible on the tickets having confirmed reservation in case the ticket is not cancelled or TDR not filed online upto four hours before the scheduled departure of the train.
8. No refund of fare shall be admissible on RAC e-tickets in case the ticket is not cancelled or TDR not filed online upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.
9. Incase of cancellation of trains, automatic full refund of fare on confirmed or RAC e-tickets shall be directly credited to the account from which booking transaction took place and online cancellation of filing of TDR shall not be required in such case.

**Rule No. 9. Refund of cancellation of unused tatkal tickets-**

1. No refund of fare shall be admissible on confirmed tatkal tickets.
2. Grant of refund for unused wait-listed tatkal tickets shall be governed by rule 7.
3. In case of party tatkal ticket or family tatkal ticket issued for travel for more than one passengers, some passengers have confirmed reservation and others are on waiting list, full refund of fare, less clerkage shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that entire tatkal ticket is surrendered for cancellation upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.

8. No duplicate tatkal tickets shall be issued:

**Refund rules available on Indian Railway's website 'www.indianrailways.gov.in' under the head Commercial Circular No. 65 of 2015.**

**Chief Commercial Manager**

Manish Kumar
OS/PS Sec
21.08.2023

Scanned with OKEN Scanner